कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1761 /12-1 :देहरादूनः दिनांकः 23 मार्च, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदशक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/40975/2019)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऑनलाईन ई0डी0एस0 पत्र– 8बी/यू0सी0पी0/06/124/2021/एफ0सी0, दिनांक– 11.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 5 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गयी, जिसका निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्राक संख्या–3071/12–1 दिनांक–20.02.2026 एवं पत्र दिनांक–29.11.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है : –

क्र.सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	As per the KML file of the road, the beneficiary village appears to be located only 60 to 250 meters away from the existing road. Therefore, the DFO shall inspect the area and submit status report of necessity of road.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.10.2025 को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ किया गया है जिसके मुख्य–मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।:– 1.उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 20 से प्रारम्भ होकर ग्राम पुजारगांव तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 1.825 किमी0 है। 2.याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 150 मीटर है एवं गांव की अंतिम बिन्दु भण्डेश्वर मन्दिर की उर्ध्वाधर दूरी 350 मीटर है तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 8167/।।।(2)/18–15(सामान्य)/2018 के अनुसार मात्र वही ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माने जायेगे जिसकी निकटतम मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर तक है। परन्तु इस मोटर मार्ग के विषय में उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर से अधिक होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण है। 3.उक्त मार्ग का निर्माण हो जाने के उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के साथ–साथ भण्डेवर मन्दिर, मोटर मार्ग से जुड जायेगस जिससे कि पर्यटन सम्भावना भी अधिक होगी, अतः मोटर मार्ग निर्माण औचित्यपूर्ण है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)

2	No alternative routes have been looked out by the State Government. So, the User Agency shall look out alternative alignment of road and submit the same with KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण को हरे रंग से दर्शाया गया है जिसकी के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 के माध्यम से संलग्न प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
3	As per DDSS analysis, the proposed diversion area becomes 1.19 ha instead of 1.4385 ha. It shall be rectified.	प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनॉक–20.02.2026(संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग में टंकण त्रुटि के कारण प्रस्तावित सिविल वन भूमि 0.00910 है0 अंकित हो गया है जबकि प्रकरण में सिविल वन भूमि 0.0910 है0 प्रस्तावित है जिसका संशोधन उपरोक्त पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कर किया गया है प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है जो कि के0एम0एल0 फाईल में भी प्रदर्शित की गई है। 1. मोटर मार्ग हेतु आरक्षित वन भूमि– 1.0675 है0 2. पम्पिंग स्थल हेतु प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि– 0.280 है0 3. मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि– 0.0910 है0 **कुल वन भूमि– 1.4385 है0**
4	SIR of DFO does not contains proposal details. So, a fresh SIR of DFO in revised format shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग की SIR रिपोर्ट नये प्रपत्र के अनुसार तैयार कर संलग्न की जा रही है जिसकी नोडल कार्यालय स्तर पर जॉच कर ली गयी है। **(संलग्नक–3)**
5	The CA scheme is calculated as per old rate. A revised CA scheme as per current rate is required to be submitted	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग की क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संशोधित कर वर्तमान निर्धारित दरो के अनुसार तैयार कर संलग्न की गयी है। CA scheme की नोडल स्तर पर जॉच कर ली गयी है, जो नवीन दरों पर आंकलित है। **(संलग्नक–4)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना के क्रम में विषयांकित प्रकरण को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण में तद्नुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0एस0पी0सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन सरंक्षण उत्तराखण्ड़ देहरादून।

संख्या–1761 /12–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1.सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3.अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यासौड, उत्तरकाशी।

(डॉ0एस0पी0सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन सरंक्षण उत्तराखण्ड़ देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–3071 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 20/02/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भंडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/40975/2019)

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक– 1296/12–1, दिनांक– 02.01.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक– 11.07.2025 द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई 05 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्र– 1774/12–1, दिनांक– 29.11.2025 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–03 के उत्तर में टंकल त्रुटि के कारण मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि– 0.00910 हे0 अंकित हो गया था।

उक्त के सम्बन्ध मे उपरोक्तानुसार हुई टंकण त्रुटि को संशोधित कर मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि– 0.0910 हे0 समझा जाय।

अतः उक्त प्रस्ताव में मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि– 1.0675 हे0, डम्पिंग स्थल हेतु प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि– 0.280 हे0 तथा मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि– 0.0910 हे0 अर्थात कुल प्रस्तावित वन भूमि 1.4385 हे0 है।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधि.
वन भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
डी0 सं0 2161
पावली 12–1
28-2-26

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 3071 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रभारी उत्तरकाशी
आ0 का0 हे0।

27-2-26

(187)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No-01374-222444

पत्रांक– 1774 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 29/ 11 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/40975/2019)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऑनलाईन ई0डी0एस0 पत्र– 8बी/यू0सी0पी0/06/124/2021/एफ0सी0, दिनांक– 11.07.2025 तथा आपका कार्यालय पत्रांक– 254/12–1, दिनांक– 02.08.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के ऑनलाईन ई0डी0एस0 पत्र– 8बी/यू0सी0पी0/06/124/2021/एफ0सी0, दिनांक– 11.07.2025 द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई 05 बिन्दुओं की आपत्ति की लगाई गई थी जिसकी निराकरण आख्या याचक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या– 1470/JJM/2025–26, दिनांक– 15.10.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्नवत है–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	As per the KML file of the road, the beneficiary village appears to be located only 60 to 250 meters away from the existing road. Therefore, the DFO shall inspect the area and submit status report of necessity of road.	उक्त के अनुपालन में विषयगत मोटर मार्ग का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचक विभाग के साथ किया गया जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	No alternative routes have been looked out by the State Government. So, the User Agency shall look out alternative alignment of road and submit the same with KML file.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण को हरे रंग से दर्शाया गया है जिसकी के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 के माध्यम से संलग्न की जा रही है।**(संलग्नक–2)**
3	As per DDSS analysis, the proposed diversion area becomes 1.19 ha instead of 1.4385 ha. It shall be rectified. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधि० वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून क्रमांक सं0 1470 पत्रावली 12-1 दिनांक 4-12-25	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग में प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है जो कि के0एम0एल0 फाईल में भी प्रदर्शित की गई है। 1. मोटर मार्ग हेतु आरक्षित वन भूमि–1.0675 है0 2. डम्पिंग स्थल हेतु प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि–0.280 है0 3. मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल वन भूमि–0.00910 है0 **कुल वन भूमि– 1.4385 है0** 1.3566.
4	SIR of DFO does not contains proposal details. So, a fresh SIR of DFO in revised format shall be submitted.	उक्त के अनुपालन में SIR रिपोर्ट नये प्रपत्र के अनुसार तैयार कर संलग्न की जा रही है।**(संलग्नक–3)**
5	The CA scheme is calculated as per old rate. A revised CA scheme as per current rate is required to be submitted	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संशोधित कर वर्तमान निर्धारित दरो के अनुसार तैयार कर संलग्न किया जा रहा है।**(संलग्नक–4)**

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रभारी उत्तरकाशी
आ० का० के०।

भवदीय,
(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\BHARTI Letter\Letter.docx

4-12-25

पत्रांक 1774 /तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी०पी० बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\BHARTI Letter\Letter.docx

संलग्नक-01

स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्टः-

दिनांक 28.10.2025 को राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भण्डेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 1.825 किमी. लम्बाई निर्माण हेतु 1.4385 हे. वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

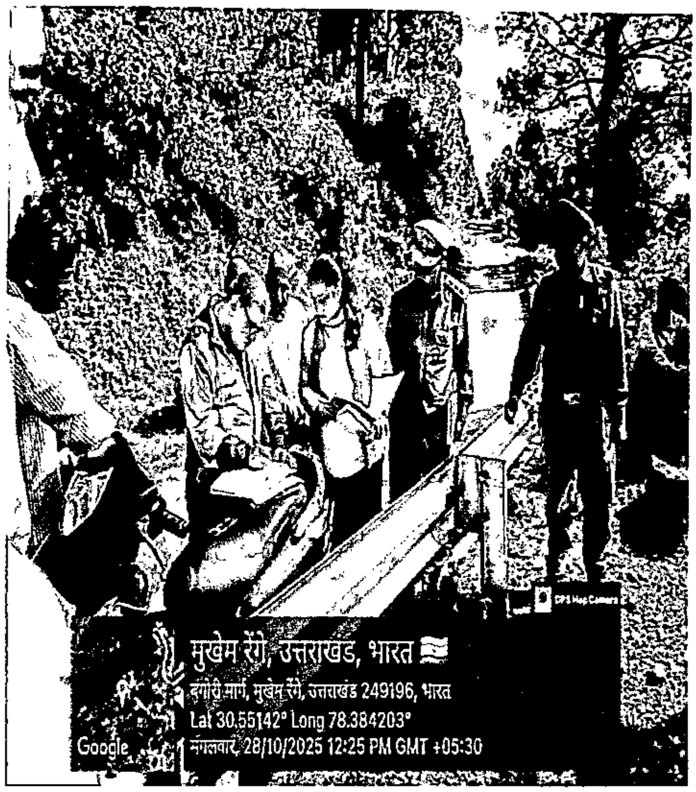

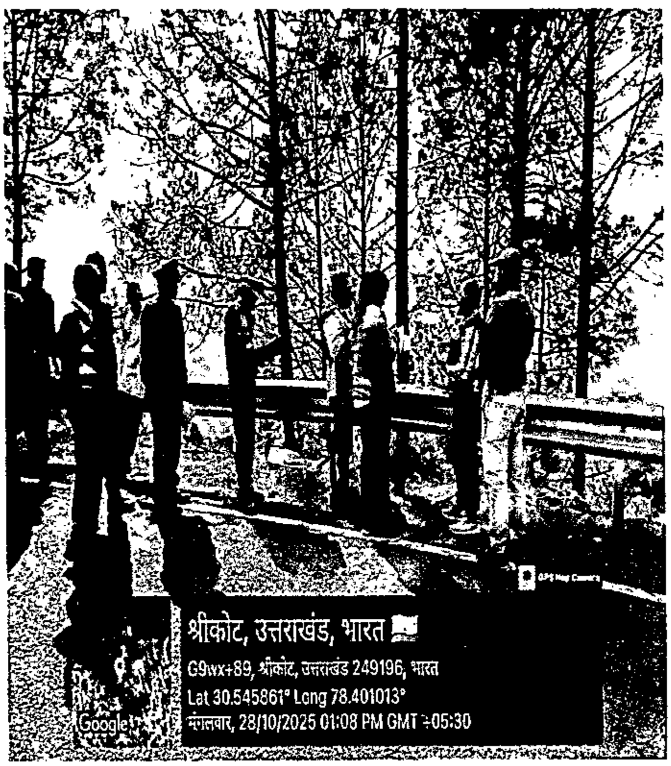

संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी, वन क्षेत्राधिकारी धरासू, सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रस्तावित मोटर मार्ग की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए प्रयोक्ता विभाग तथा स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आए :—

1. उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 20 से प्रारम्भ होकर ग्राम पुजारगांव तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 1.825 किमी है।

2. याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से गोरूण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 150 मीटर है एवं गांव की अंतिम बिन्दु भण्डेश्वर मन्दिर की उर्ध्वाधर दूरी 350 मीटर है तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 8167 / III(2) / 18–15(सामान्य) / 2018 दिनांक 31.12.2018 के बिन्दु संख्या (iv) के अनुसार मात्र वही ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माने जायेगे जिनकी निकटत्तम मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर तक है। परन्तु इस मोटर मार्ग के विषय में उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर से अधिक होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण है।

3 याचक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि मोटर मार्ग पर स्थित निकटत्तम बिन्दु से मार्ग निर्माण किया जायेगा तो मानकों के अनुसार (1:24 के Gradient पर) 3.50 किमी0 लम्बाई के मार्ग की आवश्यकता होगी एवं अधिक हेयरपिन बैण्ड पड़ेंगे तथा इस स्थान पर पहाडी की ढ़ाल 70° से 80° का है, जिस पर निर्माण करने से अधिक वनभूमि की आवष्यकता होगी जो कि तकनीकी दृष्टि एवं मार्ग के स्थायित्व के लिए उचित नही होगा, जिस कारण पूर्व निर्मित मार्ग से प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु लगभग 1500 मीटर पहले रखा गया है एवं मार्ग का Gradient 1:24 रखा गया है।

4 पुजारगाँव के प्रथम घर की उर्ध्वाधर दूरी मोटर मार्ग के निकटत्तम बिन्दु से 150 मीटर है परन्तु सम्पूर्ण गांव एक ही लेवल पर नहीं है एवं गांव उर्ध्वाधर फैला हुआ है तथा गांव की तलहटी में स्थित भंडेश्वर मन्दिर तक ग्रामीणों के घर है जिस कारण मोटर मार्ग निर्माण औचित्यपूर्ण है।

5 ग्रामीणों को मोटर मार्ग तक पहुंचने हेतु लगभग 600–800 मीटर चढ़ाई की दूरी तय करनी पडती है जिसके कारण मरीजों को मोटर मार्ग तक पहुँचने के लिए परेशानी का सामना करना पडता है साथ ही ग्रामीणों की कृषि उपज को निकटत्तम मोटर मार्ग तक लाने में भी अत्यधिक व्यय करना पडता है। अतः मोटर मार्ग निर्माण औचित्यपूर्ण है।

6 उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के साथ–साथ भडेश्वर मन्दिर, मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा, जिससे कि पर्यटन की सम्भावना भी अधिक होगी, अतः मोटर मार्ग निर्माण औचित्यपूर्ण है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 41 परिवार जिनकी जनसंख्या लगभग 159 आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को अपने बगीचे तथा कृषि खेतों में उत्पन्न फलों तथा नगदी फसलों को आसानी से मण्डी तक पहुंचाया जा सकेगा।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

Site Inspection Report

Name of Proposal- Construction of Chinyalisaur-Jogath motor road to Pujargaon Bhadeshwar mandir motor road in Chinyalisaur Block under State Sector.

Proposal No- FP/UK/ROAD/40975/2019

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent is hectares	1.4385 Hac.
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	**First point**- 30°33'5.667"N 78°23'3.115"E **Last point**- 30°33'0.142"N 78°23'38.336"E
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	1. Reserve forest Land- 1.3475 Hac. 2. Civil Soyam Land - 0.0910 Hac. **Total Land - 1.4385 Hac.**
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Pujarganw village and Pujarganw temple .
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No*
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc..	The area belongs to Chir, Banj Zone. The site quality is good to average. The composition of species is as under- Chir (*Pinus roxburghii)*, Semal (*Bombax ceiba)*, Kharik (*Celtis australis)*, *Tun* (*Toona ciliata)*, *Mehal* (pyrus pasia buch-ham*)*, *Amala* (*Emblica officinalis)*, *Kukat*, *Mehal* (*Pyrus pashia)*, *Kingoda* (*Berberis aristata)*, *Hinsar* (*Rubus ellipticus)*, *Ghingaru* (*Pyracantha crenulata)*, *Bhandeer* (*Albizia stipulata)* *Kachnar* (*Bauhinia variegate)*
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	The area is significant from wildlife point of view. Following are the major wildlife species found in this area- Goral (*Hemitragus jemlahicus*), Kakad (*Moschus moschiferus*), Guldar (*Panthera pardus*), Wildbore (*Sus scrofia cristatus*), Sehi (*Lepus nigricollis nigricollis*), Jungle cat (*Felis chaus*), black bear, Jackal (*Canis aureus*), Indian Hare (*Ochotona roylei*) Monkey (*Macaca mulatta*), Langur (*Presbytis entellus*), Himalayan Griffon, Black kite, Chakor, Koklass pheasant, Red Junglefowl, Hill Pigeon, Plum headed Parakeet, House Sparrow, Kingfisher, Jungle Myna, Great Barbet, Indian Roller, Common Crow, Red Billed Blue Magpie, Himalayan Woodpecker, Himalayan Bulbul, White tailed Nuthatch, Common Indian Krait, Rat Snake, Cobra, Himalayan Pit Viper
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	-
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Yes wich area falls in reserve forest land that managed as per prescriptions in the Working Plan

11	Importance of the area from historical or religious point of view.	-
12	Any dependent persons/families on this land.	Yes. The list will be provided by User agency and Revenue Department.
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No.
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Yes, Compensatory afforestation proposed on NFL Land whose density is less than 0.4. The area is situated in village Bagodi civil soyam land Khasra No- 3373 area is 2.877 Hac.and suitable for afforestation.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The Proposed area is not the part of any Protected Area. The distance from the boundary of Gangotri National Park is approx. 140 km.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No tribal's live in this area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	This road will join Pujarganw villege .
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	-
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	The certificate by User Agency is attached.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	The scope of saving tree growth is not adversely affected by this project.
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This road join will Pujarganw village.

Signature-

Name- प्रभागीय वनाधिकारी

Designation- DFO, UTTARKASHI FOREST DIVISION उत्तरकाशी वन प्रभाग

Seal- उत्तरकाशी

संलग्नक-04

अवनत आरक्षित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या	:–	FP/UK/ROAD/40975/2019
2. परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ – जोगत मोटर मार्ग से पुजारगांव भड़ेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग
3. परियोजना का क्षेत्रफल (उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत)	:–	1.4385 है0
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल	:–	2.877 है0
5. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता	:–	लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़
6. वन विभाग का नाम	:–	उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धरासू रेंज के अन्तर्गत ग्राम बगोड़ी के सिविल भूमि खसरा नं0 – 3373 रक्बा 3.691 है0 से 2.877 है0 भूमि चयनित की गई है। जिसका स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव मे 0.40 से कम प्रतीत होती है तथा प्रस्तावित क्षेत्र मे 1100 पौध प्रति है0 की दर से रोपित हो सकते है।

अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

c/s

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी,
धरासू वनराजि

प्रारूप– 42 (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना)

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड जोगत मोटरमार्ग से पुजारगॉव मडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग(लम्बाई–1.825 कि0मी0) का नव निर्माण कार्य हेतु 1.4385 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑन लाईन प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/ 40975/2019)

प्रभाग का नाम :– उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	प्रस्ताव का क्षेत्रफल–2.877 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम :–ग्राम–बगोडी खसरा सं0–3373 रकवा 2.877 है0, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ बंजर भूमि।	क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल–2.877 हे0

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन करना।	1	ha	741.00	741.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना (जड़ सहित उखाडना एवं नष्ट करना।	1	ha	8138.00	8138.00
3	दीवाल बन्दी कार्य करना। 150x(0.60+0.45/2)x1.20 = 94.50 m³	1	ha	83662.00	83662.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं सग्रहण हेतु चाल खालों की निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य।	1	ha	14949.10	14949.10
5	गढ्ढे खुदान करना (0.30x0.30x0.45)	1100	No.	16.90	18590.00
6	निरीक्षण बटिया	1	ha	1639.20	1639.20
7	पौधों की कीमत, 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	1100	No.	23.30	25630.00
8	पौधों की सिचांई हेतु टॅक का निर्माण	1	N	64000.00	64000.00
9	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)	1100	No.	0.91	1001.00
10	कन्टूर फरों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)	50	No.	1.78	89.00
11	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी0 प्रति हे0)*(3m*45cm*30cm)	50	No.	171.59	8579.50
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (तीन बल्ब प्रति मीटर) (1 है0 में 150 रनिंग मीटर)	450	No.	14.07	6329.25
13	अन्य आकस्मिक व्यय।	1	ha	1497.60	1497.60
	योग				234845.65

द्वितीय चरण

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	गढ्ढा भरान (0.30x0.30x0.45)	1100	No.	3.06	3366.00
2	पौधों की कीमत, पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित	1100	No.	17.78	19558.00
3	पौध रोपण।	1100	No.	5.75	6325.00
4	फरों में बीज बोना/ कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण तथा कटिंग ढुलान सहित)	50	No.	13	650.00
5	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी0 उपर उठाकर भरान कर दबाना तथा जमाना	50	No.	13	650.00
6	निराई गुडाई प्रथम व द्वितीय बार।	1100	No.	14.06	15466.00
7	रासायनिक खाद।	1100	No.	2.02	2222.00
8	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिंचाई	1100	No.	1.73	1903.00

	निकटवर्ती जल स्रोत (अधिकतम 02 किमी0 की परिधि में) से वनीकरण की सिंचाई एवं टैंक भरने हेतु पीवीसी पाईप के माध्यम से पानी की व्यवस्था	1000	mtr	100	100000.00
10	रख-रखाव रोपण वर्ष में 09 माह 01 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर	1	ha	1285.5	11569.50
11	अन्य आकस्मिक व्यय।	1	ha	4000	4000.00
12	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाया	1	ha	643.46	643.46
13	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.57	379.57
	योग				**166732.53**
	तृतीय चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी।	1100	No	2.28	2508.00
3	पौध की कीमत	110	No	30.1	3311.00
4	पौध का ढुलान	110	No	17.78	1955.80
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
6	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				**24223.86**
	चतुर्थ चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
3	निराई गुडाई व थावलाबन्दी।	1100	ha	2.28	2508.00
	योग				**18957.06**
	पंचम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				**16449.06**
	षष्ठम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				**16449.06**
	सप्तम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				**16449.06**
	अष्टम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
	योग				**16449.06**

	नवम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
				योग	16449.06
	दसम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक।	1	ha	1285.5	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना।	1	ha	643.46	643.46
2.2	वृक्षारोपण क्षेत्र के चारों ओर 4 मी0 पट्टी में सफाई करना।	1	ha	379.6	379.60
				योग	16449.06
				प्रति हे0 कुल योग	543453.46
				या	543037.00
	या प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–क– 1191/3–5–2(एफ0सी0), दिनांक 26–03–2025 मे दी गयी सिलिंग के अनुसार।				543037.00

क्र0सं0	कुल क्षेत्रफल	दर प्रति हे0		कुल धनराशि
1	2.877	543037.00		1562317.449
			Or Say	1562317.00

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वनराजि

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
उत्तरकाशी

सलंग्नक -04

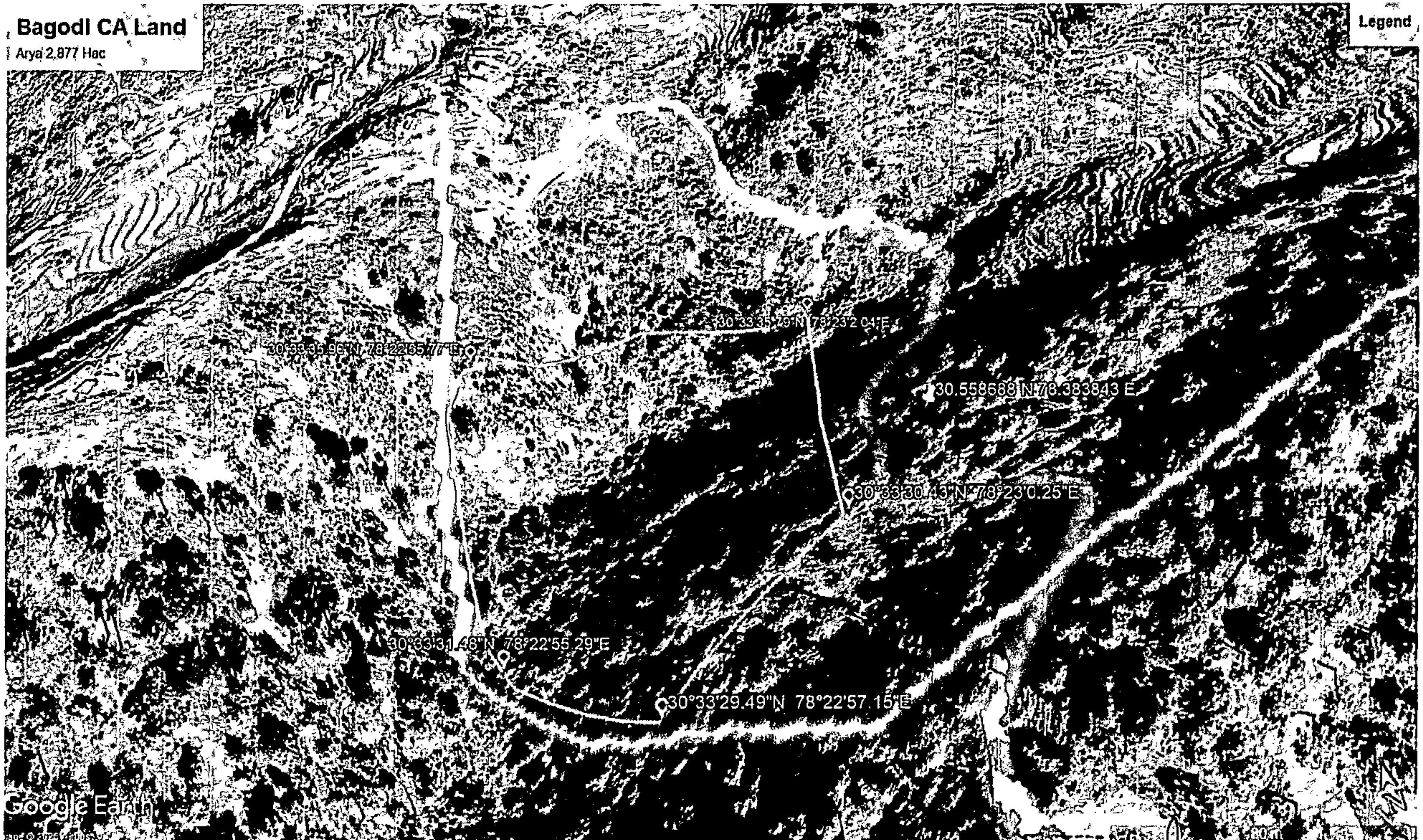

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

अब्दुल्लासेट
वनदरोगा
बाड़ाहाट अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वनराजि